राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, चण्डीगढ़

संख्या : नाइतिट/चण्डीगढ़/ प्रशासन/73/2022/15338 दिनांक :15-07-2022

कार्यालय आदेश

सभी विभाग प्रमुखों से अनुरोध है कि अपने-अपने विभागों में निम्नलिखित का अनुपालन सुनिश्चित करेः

- 1. अपने संबंधित विभागों में रजिस्टर में की गई प्रविष्टियाँ हिन्दी भाषा में होनी चाहिए।
- 2. केन्द्र सरकार के विभागों/राज्य सरकार के विभागों, केन्द्र शासित प्रदेशों से प्राप्त सभी पत्रों का उत्तर हिन्दी भाषा में दिए जाएं।
- 3. 50% टिप्पणियाँ हिन्दी भाषा में की जाएं।
- 4. 'क' और 'ख' क्षेत्र के विभागों के साथ 90% पत्राचार हिन्दी भाषा में हो ।
- 5. 'ग' क्षेत्र के विभागों के साथ 55% पत्राचार हिन्दी भाषा में हो ।
- 6. कार्यालय आदेश द्विभाषी (अंग्रेजी और हिन्दी) में जारी करें।

यह कार्यालय आदेश कार्यकारी निदेशक, नाइलिट चण्डीगढ़ के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

राकेश भारती

(हिन्दी अधिकारी)

पतिलिपि :

- 1. कार्यकारी निदेशक कार्यालय
- 2. वैज्ञानिक 'एफ' / वैज्ञानिक 'ई'
- 3. सतर्कता अधिकारी
- 4. समस्त संबंधित अधिकारी
- 5. श्रीमती सुमन (तकनीकी अधिकारी)- से कार्यालय आदेश को नाइलेट चंडीगढ़ की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
- 6. सूचना पट

NATIONAL INSTITUTE OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY CHANDIGARH

NIELIT/CH/ADMN/73/2022/ 15338

DATE: 15-07-2022

OFFICE ORDER

All head of departments are requested to ensure compliance of the following in their concerned departments.

- 1. Transaction Entries in Hindi Language in the register maintained in the Department.
- 2. All the letters received from the Central/State Government Departments, Union Territories are replied to be in Hindi Language.
- 3. 50% of Noting in Hindi language.
- 4. 90% of Correspondence to Regions 'A' and 'B' in Hindi Language.
- 5. 55% of Correspondence to Region 'C' in Hindi Language.
- 6. Issuance of office order in Bilingual (English and Hindi).

This issues with the approval of Executive Director, NIELIT Chandigarh.

Rakesh Bharti (Hindi Officer)

Copy to

- 1. Executive Director's Office
- 2. Scientist 'F'/Scientist 'E'
- 3. Vigilance officer
- 4. Concerned officials
- 5. Ms. Suman (TO) with the request to upload the office order on NIELIT Chandigarh's website.
- 6. Notice Board